

F.No.11012/3/2021-Planning
Government of India
Ministry of Culture
Archaeological Survey of India


Dharohar Bhawan,
24, Tilak Marg, New Delhi-110001
Dated the, 9.5.2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Recruitment Rules for the newly created post of Private Secretary in ASI notified vide G.S.R.294(E), dated 12th April, 2023.

The undersigned is directed to enclose herewith the Recruitment Rules for the post of Private Secretary in ASI notified vide G.S.R.294(E), dated 12th April, 2023 for information and necessary action.

Encl:- As above.



(M. Jena)

Director(Administration)

- 1) PS to Secretary(Culture/JS(ASI, MoC.
- 2) PS/PA to DG/ADG(Adm.)/All Jt.DGs/All Directors at ASI Hqrs.
- 3) CCA, Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi.
- 4) The Principal Pay and Accounts Officer, Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi-110011.
- 5) The Under Secretary(LE & RR), Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi with reference to their I.D.Note No.Misc-14017/36/2021-Estt.(RR), dated 01.02.2023.
- 6) The Under Secretary, E. Coord.I Branch, Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
- 7) The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road,
8) New Delhi-110069
- 9) The Director(Finance), Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi.
- 10) Dy. Director(Admn.)/Dy. Director(A/C), ASI Hqrs., Dharohar Bhawan, 24, Tilak Marg, New Delhi.
- 11) All Regional Directors of ASI/ All Archaeological Offices.
- 12) Adm.I/Adm.II/Vigilance/Cash Section, ASI Hqrs., Dharohar Bhawan, 24, Tilak Marg, New Delhi.
- 13) Pay and Accounts Office, ASI, New Delhi/Hyderabad.
- 14) Website Section, ASI Hqrs. Office, Dharohar Bhawan, 24, Tilak Marg, New Delhi.
- 15) The President/Secretary General, AIASA, New Delhi.
- 16) Hindi Section.
- 17) Office Order Folder/Guard File.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042023-245202
CG-DL-E-17042023-245202

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]
No. 233]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2023/चैत्र 27, 1945
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2023/CHAITRA 27, 1945

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 294(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .--- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.--- पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि .--- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य पूर्वोक्त बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.--- वह व्यक्ति,---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .--- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.--- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी सचिव	10*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर - 8 (47600-151100 रू.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)